संं0-3/2018/16/29-3-2018-ब 710/2016 टीसी-I

प्रेषक,

एO पीO त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 जनवरी 2018

विषय-अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण एवं सब्सिडी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-ले0शा0/1673/112/4408-बजट अनुमान/2017-18 दिनांक 3-1-2018 तथा पत्र सं0-ले0शा0/1674/165/3456-डबल फोर्टिफाइड नमक /2017-18 दिनांक 3-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लेखाशीर्षक 4408–04-डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति के अन्तर्गत रू0 3040 लाख एवं लेखाशीर्षक 3456-सिविल पूर्ति-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सब्सिडी के अन्तर्गत रू0 1610 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्षक 4408-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत संभावित बचत रू0 20000 लाख में से लेखाशीर्षक 4408-04- डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 3040 लाख तथा लेखाशीर्षक 2408-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013-0409- राशन कार्डो में दर्ज यूनिटो की आधार सीडिंग-42-अन्य व्यय में हो रही संभावित बचत रू0 2000 लाख में से लेखाशीर्षक् 3456-सिविल पूर्ति-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सब्सिडी में रू0 1610 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त खाद्य तथा रसद समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(2) बचत की धनराशि आयुक्त खाद्य तथा रसद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति- डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति एवं लेखाशीर्षक् 3456-सिविल पूर्ति-102-सिविल पूर्ति योजना-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सब्सिडी में सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-7-65 /दस-2018 दिनांक 18-1-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा ) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा ) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
5- अनुभाग अधिकारी खाद्य एवं रसद अनुभाग-6।
6- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।